**पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयनविधी योजना (पु प्रौ उ वि)**

**(28/04/2011 से 31/03/2012)**

**परिपत्र संख्या-1**

**(2012-13 श्रृंखला)**

**विषय - पुर्नगठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधी योजना (आर-टफ) वर्ष 2012-13 में जारी रहना ।**

अन्तर मंत्रालयीन संचालन समिति (आय.एम.एस.सी.), द्वारा उनकी 6 वीं बैठक जोकि दिनांक 18/05/2012 को हुई में लिए गये निर्यणानुसार यह सूचित किया जाता है कि पुनर्गठित प्रौउनियो वर्ष 2012-13 के दौरान व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)पी एफ-II/ 2011 दिनांक 23 अप्रैल 2012 में दी हुई शर्तो के अनुरूप जारी रहेगी । तदनुसार वस्त्र आयुक्त कार्यालय यूनिक पहचान नम्बर (यूआई डी) नयी मंजूरियों के संबंध अर्थात श्रृण दाता संस्थानों द्वारा 01/04/2012 तक या उसके बाद पुनर्गठित प्रौनियो के लिए 2012 -13 के अंतर्गत अनप्रयुक्त आर्थिकी सहायता के कैप रूपये 1972 करोड/पूर्णसमय की आर्थिक सहायता रूपये 7052 करोड एवं उनके सेक्टोरल कैप इनमे से जो भी पहले हो तक होगी । ऋण दाता संस्थानों को ऑन लाइन आवेदन करने की तत्काल प्रभाव से अनुमति होगी किन्तु यूनिक आईडी नम्बर दिनांक 16/07/2012 के बाद ही अनप्रयुक्त आर्थिक सहायता कैप एवं उनके सेक्टोरेल कैप का पता लगाकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपरोक्त की उपलब्धता के आधार पर जारी की जायेगी । यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऑन लाइन आवेदन पत्र (सरकार के संकंल्प सं 6/5/2011-टफ दिनांक 28/04/2011 के अुनलग्नक यू )वस्त्र आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट ( [www.txinda.gov.in](http://www.txinda.gov.in)) के आधार पर ऋणदाता संस्थानों को /निदेशकों को किसी प्रकार की आर्थिकी सहायता का अधिकार/दावा पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत जो 2012-13 के दौरान जारी रहेगी, नहीं होगा । उद्यमियों को इस प्रकार सलाह दी जाती है कि वे सेक्टोरल कैप की उपलब्धता वस्त्र आयुक्त कार्यालय की सरकारी वेबसाइट पर देख लें।

रूपये 1972 करोड़ का कैप एवं रूपये 7052 करोड़ में से रूपये 114 करोड़ काटकर लागू होगी जो 15% / 20% एम एम एस योजना जो कि वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा चलायी ला रही है उसपर ऑन लाइन यूनिक आईडी प्रक्रिया लागू नही होगी ।

उपरोक्त को सभी संबधितों की जानकारी मे लाया जाए।

( एस.पी. वर्मा )

उप निदेशक

//2//

सेवा में,

1. सभी नोडल एजेन्सियाँ /नोडल बैंक / को अपडेट पी एल आई
2. सभी राज्यों के सचिव ( वस्त्र)
3. वस्त्र जगत के सभी बडे संघो /व्यापार संघो /अखिल भारतीय उद्योग संघ/चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एवं उद्योग ।
4. विकास आयुक्त ( हथकरघा) ।
5. विकास आयुक्त ( हस्त कला) ।
6. जूट आयुक्त ।
7. सदस्य सचिव सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड ।
8. निफ्ट के महानिदेशक ।
9. सभी अनुसंधान संघों के निदेशक
10. सभी निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यापालक अधिकारी ।
11. प्रमुख समाचार पत्रों ।
12. वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी क्षेत्रिय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी ।
13. सचिव , वस्त्र समिती मुंबई ।
14. सभी विद्युत करघा सेवा केन्द्रो के प्रभारी अधिकारी ।

इस अनुरोध के साथ कि सभी संबधितों की जानकारी में लाने के लिए पेपर/पक्षिकों /पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित करवायें ।

(एस.पी. वर्मा)

उप निदेशक

प्रति सूचनार्थ,

1. आईएमएससीएवं टी एएससी के- सभी सदस्य
2. श्री वी.श्रीनिवास संयुक्त सचिव,वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली - 110 011.
3. श्री प्रेरणा सूद निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली - 110 011.
4. श्री जे.पी. दत्त ,अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली - 110 011.- सूचनार्थ सादर । -यह उनके का ज्ञ़ापन संख्या 6/9/2011 -टफ दि. 31/05/2012 के संदर्भ में है।

(एस.पी. वर्मा)

उप निदेशक